विपनेट

(विज्ञान प्रसार से संबधिंत विज्ञान क्लबों का नेटवर्क)

विवरणिका

विज्ञान प्रसार
(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के अंतर्गत स्वायत्त संस्था)
ए–50, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर–62, नोएडा–201309
फोन नं. : 0120–2401723, 2404430
वेबसाइट : www.vigyanprasar.gov.in
ई–मेल : vipnet@vigyanprasar.gov.in

विपनेट

धन्यवाद कि आपने इस जानकारी पर ध्यान दिया।

विपनेट विज्ञान प्रसार द्वारा संचालित विज्ञान क्लबों के नेटवर्क का प्रतिरूप है। विपनेट, कार्यक्रम की शुरूआत वर्ष 1998 में विज्ञान प्रसार से जुड़ने के इच्छुक देश भर के विज्ञान क्लबों तथा विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने वाले संगठनों तक पहुंच बनाने और उनसे जुड़ने के लिए की गई थी ताकि मिलजुल कर प्रभावी परिणाम प्राप्त किए जा सकें।

दिसम्बर 2014 तक लगभग 12,449 क्लबों ने विपनेट के साथ पंजीकरण कराया। वर्ष 2014–15 में पहले से पंजीकृत क्लबों की सहयोगात्मक गतिकी को और अधिक परिणामकारी बनाने के लिए विज्ञान प्रसार ने उनके पुनः पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू की। 1031 क्लबों ने इस प्रक्रम में पुनः पंजीकरण कराया और समीक्षा को अभिपुष्ट किया। नेटवर्क की उपलब्धियों को बल प्रदान करने के लिए विज्ञान प्रसार इस विनियोजन को और अधिक तर्कसम्मत बनाएगा। इन प्रयासों से जुड़ने के लिए आप आमंत्रित हैं।

विपनेट के विषय में:

देश के किसी भी हिस्से में कार्यरत कोई भी पूरी तरह क्रियाशील विज्ञान क्लब केवल विज्ञान प्रसार से पंजीकरण करा के विपनेट का अंग बन सकता है।

विपनेट से जुड़ने के लिए कुछ मार्गदर्शक सूत्र निम्नवत् हैं :

- नए और पहले से विद्यमान सभी क्लब अपने स्वयं का अस्तित्व बनाए रखेंगे और अपनी सुविधा के अनुसार कार्यक्रम चलाएंगे।
- विपनेट का सदस्य बनने के लिए कोई पंजीयन या सम्बद्धता शुल्क वसूल नहीं किया जाता।
- कार्यक्रमों/उत्सवों/कार्यशालाओं का आयोजन करते समय क्लब के कार्यकलाप के पृष्ठभूमि पर्दे/प्रचार पट्ट/साहित्य के निर्माण में विपनेट के लोगो का चित्र तथा नीचे दिए गये कथन का उल्लेख होना चाहिए।
- एक पते और एक समन्वयक के नाम पर केवल एक क्लब के पंजीयन या सम्बद्धता की ही अनुमति मिलेगी।
- क्लब समन्वयक की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है।

विज्ञान प्रसार विज्ञान क्लब नेटवर्क से संबद्ध

क्लब का नाम ________________________________

क्लब की विशिष्ट अधिकृत संख्या____________________

विपनेट के उद्देश्य हैं :

- विज्ञान प्रसार के साथ क्लब के स्थानीय गतिविधि केन्द्र के रूप में कार्य करना।
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (वि. एवं प्रौ.) संबंधी जानकारी का प्रचार–प्रसार करना।
- विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए सामान्य जन तक, विशेषकर दूरस्थ इलाकों में पहुँचना।
- पारंपरिक शिक्षा का पूरक तथा वैज्ञानिक मनोवृत्ति का पोषक बनकर जिज्ञासा, अन्वेषण, नवाचार एवं सृजनशीलता की भावना को उद्दीपित करना तथा
- विज्ञान के अध्ययन को आनंददायक और रोचक बनाना।

किसी नवगठित अथवा पहले से विद्यमान विज्ञान क्लब को विपनेट से संबंधन का प्रयास क्यों करना चाहिए।

एक सीधा और उपयुक्त कारण विज्ञान क्लबों के एक राष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़कर सेवा का अवसर प्राप्त करना है। क्लब एक अलग–अलग पड़ी इकाई के रास्ते में आने वाले अपने राष्ट्रीय अवरोधों को दूर कर सकते हैं और एक उत्साहवर्धक राष्ट्रीय आंदोलन का अंग बन सकते हैं। अतः नेटवर्क इन रूपों में सहायता करेगा:

i. विज्ञान प्रसार द्वारा निःशुल्क अथवा (उपलब्धता के अनुसार) भारी छूट पर प्रदान की जाने वाली संचार सामग्री प्राप्त करने में।

ii. विपनेट समाचार के माध्यम से दृष्टिकोण एवं विचार विनिमय मत अभिव्यक्ति तथा अन्य विपनेट क्लबों के विशाल गतिविधि क्रम को जानने, समझने और उससे लाभ उठाने में।

iii. विज्ञान प्रसार द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेने में, जिनमें प्रशिक्षण एवं अभियान शामिल रहेंगे।

iv. क्षेत्रीय स्तरों पर अन्य विज्ञान क्लबों के साथ मिलकर समूह निर्माण करने में, ताकि प्रशिक्षणशालाएं, कार्यशालाएं, जत्थे, व्याख्यान एवं प्रदर्शन जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जा सकें जिसके लिए विज्ञान प्रसार विशिष्ट गतिविधियों के प्रस्ताव मिलने पर उनके स्रोत व्यक्ति, पाठ्यक्रम सामग्री और किट तथा अन्य आवश्यक निवेशों के रूप में सहायता कर सकता है।

v. इन्टरनेट पर वि.प्र. के वेबपेज के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर क्रिया–कलापों को प्रसारित करने एवं मान्यता प्राप्त करने में।

नया विज्ञान क्लब कैसे बनाएं और विपनेट से कैसे जुड़े?

कोई भी युवा/प्रौढ़ व्यक्ति बच्चों के एक समूह के साथ, जिस क्षेत्र में वह रहता/रहती है, उसके अपने मित्रों, परिचित लोगों के साथ विज्ञान क्लब निर्माण पर चर्चा कर सकता/सकती है। क्लब निर्माण में कम से कम दस व्यक्ति एक साथ आने चाहिए। क्लब का प्रस्तावित नाम विपनेट के सदस्यता फॉर्म में भरना होगा। आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने के बाद संबंधन हो जाएगा।

प्रत्येक पंजीकृत क्लब के लिए मार्गदर्शक नीति

- ✓ प्रत्येक क्रिया–कलाप में क्लब के नाम के साथ विपनेट के लोगो का उपयोग अवश्य किया जाना चाहिए।
- ✓ क्लब द्वारा आयोजित कार्यक्रमों, समारोहों और कार्यशालाओं के फोटोग्राफों में विपनेट का लोगो और क्लब का नाम अनिवार्यतः स्पष्ट दिखाई पड़ना चाहिए।
- ✓ क्रिया–कलाप की रिपोर्ट वेबसाइट पर दिए गए/विवरणिका में प्रस्तुत किए गए प्रारूप में भेजी जानी चाहिए।
- ✓ रिपोर्ट ई–मेल द्वारा, डाक द्वारा, ऑनलाइन अथवा संदेशवाहक द्वारा भेजी जा सकती है। रिपोर्ट के साथ कार्यक्रम के चित्र भी भेजे जाने चाहिए। फोटोग्राफ रहित रिपोर्टों को उपयुक्त रिपोर्ट नहीं माना जाएगा।
- ✓ क्लब के किसी सदस्य का किसी कार्यशाला, कार्यक्रम आदि में केवल भाग लेना भर रिपोर्ट का अंग नहीं माना जाएगा।
- ✓ प्रत्येक वर्ष के अन्त में क्लब द्वारा प्राप्त की गई रिपोर्ट की समीक्षा उनके प्रारूप, सम्बन्धित विषय वस्तु, सामाजिक प्रभाव, सहयोगात्मक प्रयत्नों के आधार पर की जाएगी।
- ✓ समीक्षा कार्य को विज्ञान संचार के क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न संस्थानों के प्रसिद्ध व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा एवम् उसके आधार पर क्लबों को विभिन्न वर्गों में रखा जाएगा। समीक्षक का निर्णय ही अंतिम होगा।
- ✓ गत महीने की रिपोर्ट अगले महीने की 5 तारीख के बाद नही ली जाएगी।
- ✓ प्रदत्त पहचान–पत्र केवल एक वर्ष के लिए वैध होंगे।
- ✓ विज्ञान प्रसार के पास क्लबों को दी गई सुविधाओं को परिस्थिति की मांग के अनुसार परिवर्तित करने, अद्यतन बनाने या निरस्त करने का अधिकार संरक्षित रहेगा।
- ✓ विपनेट से सम्बधिंत जानकारी के लिए आप *vipnet@vigyanprasar.gov.in* पर सम्पर्क कर सकते हैं।

क्लबों की श्रेणियाँः

क्लबों में विज्ञान गतिविधियों को प्रोत्साहित करने और उनका उत्साह बनाए रखने के लिए क्लबों को श्रेणीबद्ध करने की एक प्रणाली विकसित की गई है। इस प्रणाली की मुख्य बातें हैंः

- ➢ क्लबों को पाँच श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा।
- ➢ श्रेणियों के तदनुरूप नामों द्वारा निरूपित की जाएगी।
- ➢ आगत रिपोर्टों की आवृत्ति के आधार पर क्लबों को विभिन्न श्रेणियों में प्रौन्नत या अवनत किया जाएगा।
- ➢ श्रेणी परिवर्तन के लिए समीक्षा बैठक प्रतिवर्ष दिसम्बर के अंतिम सप्ताह में निष्पादित की जाएगी।
- ➢ समीक्षा के बाद यथावत् रहे या प्रौन्नत किए गए क्लब उपयुक्त सुविधाएं प्राप्त करने के पात्र होंगे।
- ➢ अवनत किए गए क्लबों को उस वर्ष की सुविधाएं प्राप्त नहीं होंगी।

1. व्हाइट क्लब :

प्रत्येक पंजीकृत/पुनःपंजीकृत क्लब को व्हाइट क्लब की सदस्यता प्राप्त होगी। व्हाइट क्लब के लिए प्रस्तावित सुविधाएं हैंः

- ❖ सम्बद्धता प्रमाण पत्र।
- ❖ विपनेट न्यूजलेटर तथा मासिक पत्रिका ड्रीम 2047 की सदस्यता।

2. ब्रान्ज़ क्लब :

ऐसा क्लब जो प्रतिवर्ष कम से कम एक रिपोर्ट भेजता है ब्रान्ज़ क्लब प्रतिष्ठा का पात्र होगा। ब्रान्ज़ क्लब के लिए प्रस्तावित सुविधाएं हैंः

- ❖ विपनेट का लोगो तथा क्लब आई.डी. उत्कीर्णित पेन।
- ❖ क्लब के समन्वयक का पहचान पत्र।
- ❖ विज्ञान प्रसार के सभी क्रिया–कलाप किट (एक–एक प्रति)

3. सिल्वर क्लब :

कोई क्लब जो अर्द्धवार्षिक रिपोर्ट भेजता है सिल्वर क्लब प्रतिष्ठा का पात्र होता है। सिल्वर क्लब के लिए प्रस्तावित सुविधाएं हैंः

- ❖ विज्ञान प्रसार के सभी क्रिया–कलाप किट (प्रत्येक की एक प्रति)
- ❖ डिजिटल परिकलित्र जिस पर विपनेट का लोगो तथा क्लब आई.डी. उत्कीर्णित होगा।
- ❖ क्लब समन्वयक के लिए परिचय पत्र।
- ❖ 10 डीवीडी या पुस्तकों का सेट।
- ❖ विज्ञान प्रसार द्वारा आयोजित राष्ट्र–स्तरीय कार्यशाला में प्रतिभागिता के लिए पात्रता।

4. गोल्ड क्लब:

कोई क्लब जो त्रैमासिक रिपोर्ट भेजता है, वह गोल्ड क्लब प्रतिष्ठा का पात्र होता है। गोल्ड क्लब के लिए प्रस्तावित सुविधाएं हैं :

- विज्ञान प्रसार के सभी क्रिया–कलाप किट (प्रत्येक की एक प्रति)।
- 10 डीवीडी या पुस्तकों का सेट।
- विज्ञान प्रसार द्वारा आयोजित राष्ट्र–स्तरीय कार्यशाला में प्रतिभागिता के लिए पात्रता।
- विपनेट का लोगो तथा क्लब आई.डी. उत्कीर्णित पेन ड्राइव।
- क्लब समन्वयक के लिए परिचय पत्र।
- विज्ञान क्रिया–कलाप आयोजित करने के लिए किसी एक विशिष्टता संबंधी 50 किट।

5. प्लैटिनम क्लब:

कोई भी क्लब जो मासिक रिपोर्ट भेजता है, प्लैटिनम क्लब प्रतिष्ठा का पात्र होता है। प्लैटिनेम क्लब के लिए प्रस्तावित सुविधाएं हैं:

- विज्ञान प्रसार के सभी क्रियाकलाप किट (प्रत्येक की एक प्रति)
- 10 डीवीडी या पुस्तकों का सेट।
- विज्ञान प्रसार द्वारा आयोजित राष्ट्र – स्तरीय कार्यशाला में प्रतिभागिता के लिए पात्रता।
- विज्ञान क्रिया–कलाप आयोजित करने के लिए किसी एक विशिष्टता के 50 किट।
- विपनेट का लोगो तथा क्लब आई. डी. उत्कीर्ण किया हुआ श्वेत बोर्ड, डस्टर और दो मार्करों का सेट।
- क्लब के समन्वयक के लिए पहचान पत्र।
- क्लब के 10 सदस्यों एवं समन्वयक के लिए भारत के किसी शैक्षणिक संस्थान में शैक्षणिक दौरा।
- क्लब द्वारा आयोजित राज्य–स्तरीय कार्यशाला के लिए विज्ञान प्रसार से सहायता प्राप्त करने की पात्रता।
- ऐसे व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभागिता की पात्रता, जिसमें स्थाई संपदा रूप शैक्षणिक उपस्कर जैसे, टेलिस्कोप बनाना, मौसम किट आदि विकसित किए जाएंगें।

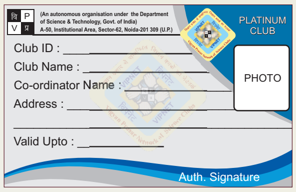

क्लब द्वारा रिपोर्ट का प्रारूप

क्लब आई.डी.: ______________________

क्लब का नाम : ______________________

समन्वयक का नाम: ______________________

रिपोर्ट प्रकार : – मासिक ☐ त्रैमासिक ☐ अद्धवार्षिक ☐ वार्षिक ☐

गतिविधि–1	गतिविधि–1
रिपोर्ट की अवधि : ____________ से ____________	रिपोर्ट की अवधि : ____________ से ____________
निष्पादित क्रिया–कलाप:	निष्पादित क्रिया–कलाप:
1. कार्यक्रम की तिथि : ____________	1. कार्यक्रम की तिथि : ____________
2. कार्यक्रम का शीर्षक / विषय : ____________	2. कार्यक्रम का शीर्षक / विषय : ____________
3. कार्यक्रम लाभार्थी : ____________	3. कार्यक्रम लाभार्थी : ____________
4. प्रतिभागियों की कुल संख्या : ____________	4. प्रतिभागियों की कुल संख्या : ____________
5. कार्यक्रम स्थल : ____________	5. कार्यक्रम स्थल : ____________
6. कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण (500 शब्द तक): ____________	6. कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण (500 शब्द तक): ____________
(Note : Additional sheets can be added if required)	(Note : Additional sheets can be added if required)
फोटो (कार्यक्रम के अधिकतम 2, शीर्षक सहित)	फोटो (कार्यक्रम के अधिकतम 2, शीर्षक सहित)

(क्रमशः 3, 4, 5 ....) एक रिपोर्ट में अधिकतम 5 गतिविधियां प्रस्तुत की जा सकती है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

विभिन्न श्रेणियों में क्लवों पर विचार करने के लिये पात्रता मानदंड

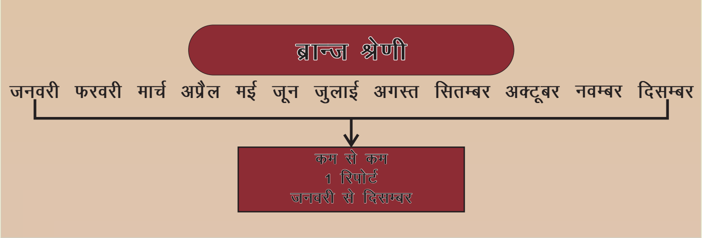

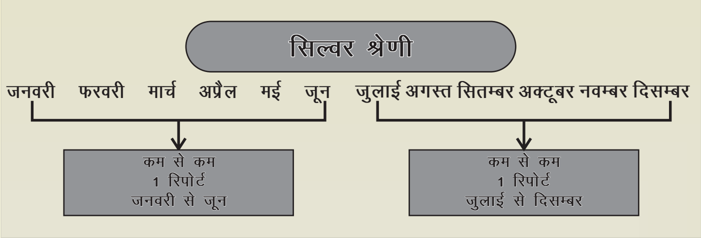

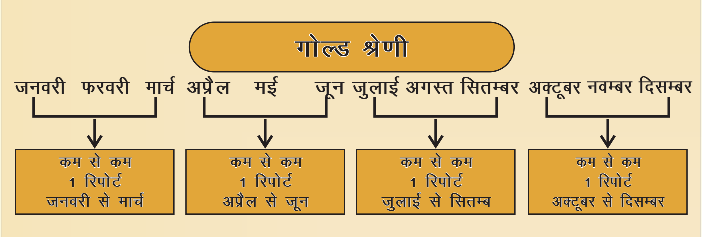

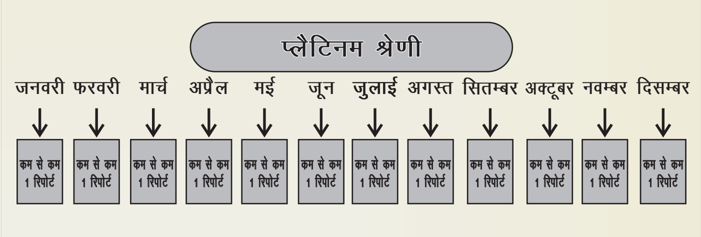

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्र.1. क्लबों का वर्गीकरण क्या है?

उत्तर विज्ञान प्रसार द्वारा क्लबों में वैज्ञानिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने और उनका मनोबल ऊंचा रखने के लिए क्लबों के वर्गीकरण की एक प्रणाली का विकास किया गया है।

प्र.2. यह वर्गीकरण कैसे किया जाता है।

उत्तर क्लबों को एक कैलेंडर वर्ष में उनके द्वारा प्राप्त रिपोर्ट के मूल्यांकन के आधार पर व्हाइट, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम जैसी पांच श्रेणियों में विभाजित किया जाता है।

प्र.3. क्लब समन्वयक की आयु सीमा क्या है।

उत्तर क्लब समन्वयक की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।

प्र.4. व्हाइट क्लब श्रेणी क्या है।

उत्तर विज्ञान प्रसार के विज्ञान नेटवर्क क्लब के साथ प्रत्येक पंजीकृत क्लब को एक व्हाइट क्लब श्रेणी दी जाती है।

प्र.5. ब्रॉन्ज क्लब श्रेणी क्या है?

उत्तर एक क्लब जो वर्ष में कम से कम एक रिपोर्ट भेजता है, यानी जनवरी से दिसंबर के बीच, वह ब्रॉन्ज क्लब श्रेणी के लिए पात्र हो सकता है।

प्र.6. सिल्वर क्लब श्रेणी क्या है?

उत्तर एक क्लब जो अर्धवार्षिक रिपोर्ट भेजता है, यानी क्रमशः जनवरी से जून और जुलाई से दिसंबर अवधि की, वह सिल्वर क्लब श्रेणी के लिए पात्रता रखता है।

प्र.7. गोल्ड क्लब श्रेणी क्या है?

उत्तर एक क्लब जो त्रैमासिक रिपोर्ट भेजता है यानी जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर और अक्टूबर से दिसंबर के बीच संपन्न गतिविधियों की रिपोर्ट प्रेषित करने वाले क्लब गोल्ड क्लब श्रेणी की पात्रता रखता है।

प्र.8. प्लैटिनम क्लब श्रेणी क्या है?

उत्तर एक क्लब जो मासिक रिपोर्ट भेजता है? यानी जनवरी से दिसंबर तक हर महीने एक रिपोर्ट जिसमें एक साल में न्यूनतम 12 रिपोर्टें होती हैं, प्लैटिनम क्लब श्रेणी में शामिल होने के लिए पात्र है।

प्र.9. क्या यह संभव है कि एक क्लब को सीधे व्हाइट क्लब श्रेणी से प्लैटिनम क्लब श्रेणी में अपग्रेड किया जाए?

उत्तर हां, क्लब के लिए व्हाइट क्लब से सीधे प्लैटिनम क्लब में अपग्रेड किया जाना संभव है, यदि वे उपरोक्त वर्णित श्रेणियों के अनुसार रिपोर्ट भेजने की आवृत्ति बढ़ाते हैं।

प्र.10. रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा क्या है।

उत्तर रिपोर्ट जमा करने की समयावधि उस वर्ष के माह जनवरी से दिसंबर तक है।

प्र.11. क्या श्रेणी के मापदंड के अनुसार रिपोर्ट भेजना उस श्रेणी के क्लब के उन्नयन का निर्धारण कर सकता है।

उत्तर नहीं, दी गई श्रेणी के मानदंडों के अनुसार रिपोर्ट भेजना इस बात का निर्धारण नहीं कर सकता कि क्लब को श्रेणी में अपग्रेड किया जाएगा। क्लब द्वारा प्रस्तुत सभी रिपोर्ट तीन चरण मूल्यांकन प्रक्रिया से गुजरती हैं। पहले चरण में रिपोर्ट्स की पुनरावृत्ति, उचित प्रारूप, विपनेट लोगो का उपयोग, कार्यक्रम की तस्वीरें आदि देखने के लिए विज्ञान प्रसार द्वारा प्रारंभिक विश्लेषण किया जाता है। प्रक्रिया के दूसरे चरण में प्रस्तुत रिपोर्ट की समीक्षा होती है। विज्ञान संचार के क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न संगठनों के प्रख्यात व्यक्तियों द्वारा समीक्षा की जाती है। रिपोर्ट को उसके प्रारूप, अवधारणा की प्रासंगिकता, सामाजिक प्रभाव और सहयोगात्मक प्रयासों पर मूल्यांकित किया जाता है (100 में से अंक दिए जाते है)। अंत में तृतीय चरण में कार्यकारी समिति के बजट के आधार पर एक मानदण्ड तय किया जाता है। केवल मानदण्ड के बराबर या उससे अधिक अंक पाने वाले क्लबों को अगली श्रेणी में अपग्रेड किया जाता है।

प्र.12. यदि मैं दिसंबर माह में सभी महीनों की संकलित रिपोर्ट प्रस्तुत करता हूँ, तो क्या होगा?

उत्तर क्लब ब्रॉन्ज क्लब श्रेणी के लिए पात्र होगा।

प्र.13. अगर मैं जून में जनवरी से जून की संकलित रिपोर्ट प्रस्तुत करता हूँ और फिर जुलाई से दिसंबर तक कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता हूँ, तो क्या होगा?

उत्तर क्लब ब्रॉन्ज क्लब श्रेणी के लिए पात्र होगा।

प्र.14. अगर मैं हर महीने जनवरी से जून तक एक रिपोर्ट भेजता हूँ और फिर जुलाई से दिसंबर तक कोई रिपोर्ट नहीं भेजता हूँ, तो क्या होगा?

उत्तर क्लब कांस्य क्लब श्रेणी के लिए पात्र होगा।

प्र.15. यदि मैं कैलेंडर वर्ष में केवल मार्च की एक रिपोर्ट प्रस्तुत करता हूँए तो क्या होगा।

उत्तर क्लब ब्रॉन्ज क्लब श्रेणी के लिए पात्र होगा।

प्र.16. यदि मैं जून में जनवरी से जून की और दिसंबर में जुलाई से दिसंबर की संकलित रिपोर्ट प्रस्तुत करता हूँ, तो क्या होगा?

उत्तर क्लब सिल्वर क्लब श्रेणी के लिए पात्र होगा।

प्र.17. यदि मैं जनवरी से जून के बीच केवल जनवरी की एक रिपोर्ट और जुलाई से दिसंबर के बीच केवल जुलाई की एक रिपोर्ट प्रस्तुत करता हूँए तो क्या होगा?

उत्तर क्लब सिल्वर क्लब श्रेणी के लिए पात्र होगा।

प्र.18. यदि मैं हर महीने जनवरी से सितंबर तक एक रिपोर्ट प्रस्तुत करता हूँ और फिर अक्टूबर से दिसंबर तक कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता हूँ, तो क्या होगा?

उत्तर क्लब सिल्वर क्लब श्रेणी के लिए पात्र होगा।

प्र.19. यदि मैं मार्च में जनवरी से मार्च की, जून में अप्रैल से जून की, सितंबर में जुलाई से सितंबर की और दिसंबर में अक्टूबर से दिसंबर की संकलित रिपोर्ट भेजता हूँ, तो क्या होगा।

उत्तर क्लब गोल्ड क्लब श्रेणी के लिए पात्र होगा।

प्र.20. यदि मैं जनवरी की, जनवरी से मार्च, अप्रैल कीं अप्रैल से जून, जुलाई कीं जुलाई से सितंबर, अक्टूबर की, अक्टूबर से दिसंबर की एक रिपोर्ट भेजता हूँए तो क्या होगा।

उत्तर क्लब गोल्ड क्लब श्रेणी के लिए पात्र होगा।

प्र.21. अगर मैं जनवरी से नवंबर तक हर महीने की एक रिपोर्ट और फिर दिसंबर में कोई रिपोर्ट नहीं भेजता हूँए तो क्या होगा।

उत्तर क्लब गोल्ड क्लब श्रेणी के लिए पात्र होगा।

प्र.22. अगर मैं जनवरी से दिसम्बर तक हर महीने एक रिपोर्ट भेजता हूँ तो क्या होगा?

उत्तर क्लब प्लैटिनम श्रेणी के लिये पात्र होगा।

प्र.23. वर्तमान माह की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि क्या है?

उत्तर वर्तमान माह की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि उसके अगले महीने की 5 तारीख होती है।

प्र.24. क्या पिछले कैलेंडर वर्ष की रिपोर्ट अगले कैलेंडर वर्ष में प्रस्तुत की जा सकती है?

उत्तर नहीं, केवल मूल्यांकन के लिए उस कैलेंडर वर्ष की रिपोर्ट पर विचार किया जाता है।

प्र.25. मूल्यांकन की प्रक्रिया कब शुरू होती है।

उत्तर मूल्यांकन की प्रक्रिया प्रत्येक वर्ष के दिसंबर माह के अंतिम सप्ताह में शुरू होती है। (5 जनवरी के बाद किसी भी मामले में कोई रिपोर्ट स्वीकार नहीं की जाएगी)

प्र.26. अगर मैंने फोटो के बिना और विवरणिका में निर्धारित प्रारूप के अनुसार रिपोर्ट भेजी है तो क्या होगा।

उत्तर तस्वीरों और निर्धारित प्रारूप के बिना भेजी गई रिपोर्टों का मूल्यांकन के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

प्र.27. क्या किसी कार्यक्रम में ली गई भागीदारी को रिपोर्ट के रूप में भेजा जा सकता है।

उत्तर नहीं, किसी कार्यक्रम में केवल भागीदारी को एक रिपोर्ट नहीं माना जा सकता है।

क्या करें:

- ✓ किसी भी कार्यक्रम आयोजन के दौरान सभी प्रचार सामग्री जैसे बैनर, पोस्टर आदि में क्लब आईडी के साथ विपनेट लोगो का उपयोग करें।
- ✓ निर्धारित प्रारूप में ही रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
- ✓ कार्यक्रम की तस्वीरों के साथ गतिविधि रिपोर्ट की समीक्षा करें।
- ✓ क्लब विवरण में किए गए किसी भी बदलाव के संबंध में समय रहते विज्ञान प्रसार को सूचित करें।(जैसे समन्वयक का नाम, पता, संपर्क विवरण, प्राधिकरण विवरण आदि)
- ✓ क्रमानुगत महीने के 5 वें दिन तक मासिक रिपोर्ट जमा करें।

क्या न करें:

- × विज्ञान प्रसार से पूर्व अनुमति के बिना किसी भी कार्यक्रम / विज्ञापन / बैनर / पोस्टर आदि में विज्ञान प्रसार लोगो का उपयोग न करें।
- × किसी भी तरह के फंड जुटाने, सदस्यता शुल्क, वित्तीय सहायता आदि के लिए विज्ञान प्रसार / विपनेट के नाम का उपयोग न करें।
- × वर्तमान कैलेंडर वर्ष की रिपोर्ट अगले वर्ष में प्रस्तुत न करें।
- × एक ही समन्वयक और एक ही पते पर एक से अधिक क्लब पंजीकृत न करें।

AFFILIATION FORM / TO SUBMIT ACTIVITY REPORT AND ENQUIRY
A-50, Institutional Area, Sector-62, Noida - 201309, U.P.
Ph. No. : 0120-2401723, 2404430, Website : www.vigyanprasar.gov.in
E-mail : vipnet@vigyanprasar.gov.in

विपनेट

(विज्ञान प्रसार से संबधिंत विज्ञान क्लबों का नेटवर्क)

प्रार्थना-पत्र

सेवा में,

विपनेट

विज्ञान प्रसार

ए–50, इंस्टीटूयूशनल एरिया,

सेक्टर–62, नोएडा (यू.पी.)–201309

हम, ... राज्य में, ... (गांव/कस्बे/नगर) के युवकों के समूह ने ".." नाम से एक विज्ञान क्लब/सोसायटी/फोरम बनाया है। हमनें संपूर्ण जानकारी उचित प्रारूप में (संलग्न) सही–सही प्रदान की है और हम विज्ञान प्रसार को सदैव अपने कार्यक्रमों और प्रगति के संबंध में सूचित करते रहेंगे।

हमने यह तय किया है कि हम विज्ञान प्रसार विपनेट क्लब के रूप में सम्बद्धता चाहेंगे और आपसे अनुरोध करेंगे कि हमारे प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाए और हमें सम्बद्धता प्रमाण पत्र तथा विशिष्ट अनुमोदन संख्या भेजी जाए। हम आपको आश्वस्त करते है कि हम अपने नियमित क्रिया–कलापों और कार्यक्रमों के अतिरिक्त इस नेटवर्क की गतिविधियाँ भी चलाएंगे।

धन्यवाद।

भवदीय

(   )

समन्वयक

टिप्पणी: प्रार्थना पत्र एवं विपनेट संबंधन फॉर्म, दिए गए प्रारूप में, सादे कागज़ पर टाइप करा ले या स्वच्छ हस्तलिपि में भी भेजे जा सकते हैं।

विपनेट

(विज्ञान प्रसार से संबधिंत विज्ञान क्लबों का नेटवर्क)

संबंधन फॉर्म

फोटो
(पासपोर्ट साईज)

1. क्लब का नामः ....
2. समन्वयक का नामः ....
3. पद नामः ....
4. आयुः.............................. लिंगः..............................
5. क्लब का प्रकार (सही (✓) का निशान लगाइए):
   (a) विद्यालय–अंतर्गत ☐ (b) विद्यालय बाह्य ☐

(यदि क्लब विद्यालय में है।)

6. विद्यालय का नाम :..............................
7. मुख्य अध्यापक/प्रधानाचार्य का नाम :..............................

(यदि क्लब विद्यालय के बाहर हैं)

8. संस्था/संगठन/अन्यों का नाम जहाँ क्लब स्थित है :..............................
9. परामर्शदाता/मुखिया का नामः ....
10. पत्राचार का पता (मोटे अक्षरों में): ....
    ....
    .... जनपद-..............................
    राज्य- .... पिन कोड- ....
11. संपर्क नम्बरः
    मोबाइल .... लैंडलाइन ....
12. ई–मेलः .... फैक्सः ....
    (ऐसा देखने में आया है कि विद्यालयों अथवा इसी प्रकार के अन्य प्रशासनिक प्राधिकाराधीन विपनेट क्लबों को हमारे द्वारा आयोजित प्रशिक्षणों/ कार्याशालाओं/ अन्य कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए अधिकारियों के अनुमोदन/अनुमति की आवश्यकता होती है। इस समस्या/प्रक्रिया को न्यूनतम स्तर पर लाने के लिए यह अनुरोध है कि नीचे दिए गए विवरण प्रस्तुत किए जाएं ताकि संबधिंत अधिकारियों से यह अनुरोध किया जा सके कि वे समन्यवक को कार्यक्रम में आने की अनुमति दें।
13. क्या आपका क्लब किसी प्रशासन व्यवस्था के अंर्तगत कार्य करता है? हाँ/नहीं
14. किस अधिकारी से संपर्क किए जाए (पूरा पता): ....
    ....
    ....
    ई–मेलः .... फोन नं.: ....

तिथि : .... हस्ताक्षर : ....

स्थान : ....

* कृपया क्लब के सदस्यों की सूची उनके विवरण सहित संलग्न करें।